न्यायालय जिला कलक्टर एवं जिला मजिस्ट्रेट अजमेर

राजस्व अपील संख्या 45/2012

1. जगमाल पुत्र श्री हमीरा
2. मेवा पुत्र श्री जगमाल
3. रामलाल पुत्र श्री जगमाल जाति गुर्जर निवासी ग्राम माकड़वाली तहसील व जिला अजमेर।

.....अपीलान्ट

बनाम

1 लोकेश कुमार सिंगारिया पुत्र श्री ईश्वरलाल सिंगारिया जाति कोली निवासी एम.डी. कॉलोनी, नाका मदार, अजमेर। ..... रेस्पोडेन्ट्स

अपील अर्न्तगत धारा 225 राजस्थान काश्तकारी अधिनियम 1955 विरूद्ध निर्णय तहसीलदार अजमेर, दिनांक 02.06.2011 अन्तर्गत प्रकरण संख्या 1607/2010

उपस्थितः— 1 श्री अजीत सिंह राठौड़ अभिभाषक अपीलान्ट
2 श्री मनीष कुमार खण्डेलवाल अभिभाषक अपीलान्ट
2. श्री अभिषेक कौशिक अभिभाषक रेस्पोडेन्ट

आदेश

दिनांक — 07.02.2025

संक्षेप में अपील के तथ्य इस प्रकार है कि तहसीलदार अजमेर का प्रकरण संख्या 10/1607 बउनवान श्री लोकेश कुमार सिंगारिया बनाम श्री जगमाल गुर्जर व अन्य में दिनांक 02.06.2011 को पारित आदेश से रूष्ट होकर अपील अन्तर्गत धारा 225 राजस्थान काश्तकारी अधिनियम 1955 मय धारा 5 मयाद अधिनियम प्रार्थना पत्र प्रस्तुत की गई है। अपील subject to limitation दर्ज रजिस्टर की जाकर रेस्पोडेन्ट को नोटिस जारी किये गये रेस्पोडेन्ट जरिये अभिभाषक उपस्थित आये। रेस्पोडेन्ट अधिवक्ता उपस्थित होने पर पत्रावली वास्ते प्रार्थना पत्र अन्तर्गत धारा 5 मयाद अधिनियम पर उपस्थित उभय पक्ष की बहस सुनी गई।

वकील अपीलांन्ट नें सर्वप्रथम प्रार्थना पत्र अन्तर्गत धारा 5 मयाद अधिनियम में तथ्यों को दोहराते हुए निवेदन किया गया कि पांचू पुत्र बलदेव जाति बलाई निवासी माकड़वाली तहसील व जिला अजमेर की खातेदारी/काश्तकारी की आराजीयात खसरा नम्बर 3045 रकबा 2—5—0, खसरा नम्बर 3047 रकबा 1—18—0 किस्म बारानी 2 तथा खसरा नम्बर 3054 रकबा 0—13—0 एवं खसरा नम्बर 3057 रकबा 3—12—10 किस्म चाही 3 रकबा सम्पूर्ण ग्राम माकड़वाली तहसील व जिला अजमेर में अवस्थित है उक्त आराजीयात के अतिरिक्त खसरा नम्बर 3052 रकबा 0—3—0 किस्म चाह के 1/2 भाग तथा 3053 रकबा 0—3—0 के 1/2 भाग के भी खातेदार पांचू पुत्र श्री बलदेव थे। पांचू पुत्र श्री बलदेव के जीवनकाल में ही अपीलांट संख्या 1 विवादित भूमि पर काबिज काश्त चला आ रहा था तत्समय पांचू काफी बीमार रहता था एवं अपीलांट संख्या 01 के पास ही निवास करता था। जिसकी सेवा अपीलांट संख्या 01 ने ही की जिससे प्रसन्न होकर पांचू पुत्र

जिला कलक्टर,
अजमेर

बलदेव ने उक्त वर्णित आराजीयात बाबत् एक पंजीकृत वसीयत रूबरू गवाहन छोटू पुत्र श्री चतरा जाति भांभी, मंगला पुत्र गणेश जाति भांभी, पांचू पुत्र मेदा जाति गुर्जर एवं हमीरमल पुत्र गोरधन जाति भांभी के समक्ष अपीलांट संख्या 01 के हक में दिनांक 18.05.1979 को निष्पादित दी। तत्पश्चात् वसीयत निष्पादन करने के पश्चात् लगभ 04 वर्ष पश्चात् ही पांचू पुत्र बलदेव का स्वर्गवास हो गया, तब से उक्त आराजीयात पर अपीलांट संख्या 01 काबिज काश्त चला आ रहा हैं। श्रीमती नौरतीदेवी पत्नी किशनलाल, जगदीश, संतोष एवं बसन्ती पिसरान श्री किशनलाल ने जो कि पांचू पुत्र बलदेव के वारिसान नहीं है ने दिनांक 02.02.1969 को पांचू को फौत होना बताते हुए गैर कानूनी रूप से नामांतरकरण संख्या 1753 दिनांक 06.05.2010 को त्रुटिपूर्ण रूप से तस्दीक करवा दिया एवं रेस्पोडेन्ट को विक्रय कर दिया जिसके नाम नामांतरकरण संख्या 1754 उसी दिन दिनांक 06.05.2010 को ही बिना कब्जे के ही तस्दीक कर दिया गया। रेस्पोडेन्ट ने नामांतरकरण संख्या 1754 की आड़ में जिला कलक्टर महोदय, अजमेर के समक्ष दिनांक 13.08.2010 को जन सुनवाई प्रकोष्ठ में प्रार्थना पत्र प्रेषित किया गया जिन्होने तहसीलदार अजमेर को प्रेषित कर दिया। जिस पर तहसीलदार अजमेर ने प्रकरण संख्या 10/1607 दर्ज किया तत्पश्चात् दिनांक 02.06.2011 को रेस्पोडेन्ट का प्रार्थना पत्र स्वीकार करते हुए वादग्रस्त आराजीयात पर अपीलांट्स द्वारा दिनांक 12.08.2010 को अतिक्रमण करना मानते हुए बेदखल के आदेश पारित किये। यह कि प्रकरण की पैरवी हेतु प्रार्थी/अपीलांट संख्या 01 द्वारा अभिभाषक नियुक्त किये गए थे जिनके द्वारा प्रार्थी को प्रदत्त सूचना कभी प्राप्त नहीं हुई जिससे निर्णय की जानकारी नहीं हो पाई एवं दिनांक 10.10.2012 का सुबह कुछ व्यक्ति कार में आये और अपीलांट/प्रार्थी को कहा कि जमीन का केस हम जीत गए हैं। तब प्रार्थी ने उसी समय अभिभाषक से सम्पर्क किया जिन्होने उसी दिन तहसील कार्यालय जाकर जानकारी की तो प्रार्थी के विरूद्ध एकतरफा में निर्णय होना पाया गया तब नकल हेतु प्रार्थना पत्र प्रस्तुत किया जिस पर दिनांक 11.10.2012 को नकल प्राप्त हुई। अपीलांट/प्रार्थी कृषक है जो बमुश्किल विवादित भूमि पर कृषि कार्य कर जीवकोपार्जन करता हैं एवं शारीरिक रूप से भी वृद्ध होकर अत्यन्त कमजोर है जिससे कानूनी सलाह में 20 दिन गुजर गये तत्पश्चात् दिनांक 30.10.2012 को अपील तैयार करवाई एवं अन्दर मयाद प्रस्तुत की गई। अतः प्रार्थना पत्र अन्तर्गत धारा–5 मियाद अधिनियम स्वीकार फरमाया जाकर अपील प्रस्तुती में हुई देरी क्षमा फरमाकर अपील अन्दर मयाद मानकर अपील को गुणावगुण पर सुनवाई किये जाने के समुचित आदेश प्रदान कर अनुग्रहीत करे। अपीलांट ने अपने समर्थन में न्यायिक दृष्टान्त 2022 (2) RRT 1118 (FB) Sarju Rao & Ors. Vs Amritlal &, 2019(1) RRT 281 Sonu & Ors. Vs Balwant Singh & Ors., 2018 (2) RRT 1537 Sishpal Vs Seduram, 2007(1) RRT 227 Varda & Ors. Vs Narayan Lal, 2008 (1) RRT 28 Chaturbhuj vs Behra & Ors., 2019 (1) RRT 2017 Saroj Kanwar vs. Veer Singh & Anr. पेश किये गये।

अभिभाषक रेस्पोडेन्ट नें अपनी बहस में कथन किया कि अपीलाधीन भूमि खसरा संख्या 3045, रकबा 2–05–0, खसरा नं. 3047 रकबा 1–18–0 किस्म बारानी 2, खसरा नम्बर 3054 रकबा 0–13–0 एवं खसरा नम्बर 3057 रकबा 3–12–10 व खसरा नं. 3052 रकबा 0–16–0, खसरा न. 3053 रकबा 0–3–00 ग्राम माकडवाली तहसील व जिला अजमेर स्थित भूमि जिसका रेस्पोडेन्ट लोकेश कुमार सिंगारिया जाति कोली खातेदार दर्ज है, अनुसूचित जाति का सदस्य है, अनुसूचित जाति के सदस्य की विवादित भूमि पर अपीलार्थी के द्वारा बिना किसी

जिला कलक्टर,
अजमेर

आधार अधिकार के अतिक्रमण किया गया इस पर अधीनस्थ न्यायालय के समक्ष रेस्पोडेन्ट लोकेश कुमार सिंगारिया के द्वारा अपीलार्थी जगमाल जो अतिक्रमी है को बेदखल किए जाने हेतु आवेदन पत्र प्रस्तुत किया गया कि जिस पर अधिनस्थ न्यायालय के द्वारा दोनो पक्षो को सुनवाई का समुचित अवसर दिया जाकर अपीलार्थी जगमाल जो अतिक्रमी है को बेदखल किए जाने हेतु आवेदन पत्र प्रस्तुत किया गया जिस पर अधिनस्थ न्यायालय के द्वारा दोनो पक्षो को सुनवाई का समुचित अवसर दिया जाकर अपीलार्थी जो कि अतिक्रमी है कि जिसे अपीलाधीन भूमि से बेदखल किए जाने बाबत आदेश दिनांक 02.06.2011 को पारित किया गया कि जिसके विरूद्ध प्रस्तुत उक्त अपील विधिक प्रावधानों के अनुसार प्रथम दृष्टया ही निरस्त किए जाने योग्य है। साथ ही यह भी कथन किया कि अपीलाधीन भूमि के सन्दर्भ में आदेश पारित करने से पूर्व पटवारी हल्का से मौका रिपोर्ट भी तलब की गई, मौका रिपोर्ट दिनांक 24.09.2010 से यह स्पष्ट है कि उपरोक्त आराजियात पर अप्रार्थीगण रिपोर्ट पटवारी के अनुसार काबिज हैं। अपीलाधीन भूमि जो कि रेस्पोडेन्ट अनुसूचित जाति का सदस्य की खातेदारी की कृषि भूमि है, अपीलार्थी के द्वारा अवैध अतिक्रमण किया गया कि इस पर अधिनस्थ न्यायालय के द्वारा मुकदमा दर्ज किया जाकर दोनो पक्षो की सुनवाई के उपरान्त अपीलाधीन आदेश पारित किया गया। धारा 42 बी राजस्थान काश्तकारी अधिनियम 1955 अनुसूचित जाति के खातेदार द्वारा गैर अनुसूचित जाति के व्यक्ति को हस्तान्तरण कानूनन अवैध है, हस्तान्तरण ही नहीं की जा सकती, अनुसूचित जाति या अनुसूचित जनजाति के व्यक्ति द्वारा गैर अनुसूचित जाति या अनुसूचित जनजाति के व्यक्तियो के पक्ष में किया गया विक्रय संविदा या विक्रय शून्य है एवं कानूनन प्रवृत्तीय नहीं। इस प्रकार अनुसूचित जाति की खातेदारी की भूमि पर अपीलार्थी जो अतिक्रमी था कि जिसे धारा 183 बी राजस्थान काश्तकारी अधिनियम 1955 के अन्तर्गत बेदखल किया गया, अधीनस्थ न्यायालय द्वारा पारित अपीलाधीन आदेश विधि सम्मत है। रेस्पोडेन्ट ने कथन किया कि प्रार्थना पत्र अन्तर्गत धारा 103 (ख) सपठित धारा 209 राजस्थान काश्तकारी अधिनियम जो कि वाद नहीं है, बल्कि समरी प्रोसेडिंग ही है अधीनस्थ न्यायालय द्वारा पारित आदेश विधि संगत हैं। अतः अपीलांट द्वारा प्रस्तुत प्रार्थना पत्र अन्तर्गत धारा 5 मयाद अधिनियम खारिज फरमाया जाकर एवं उक्त अपील भारी मयाद बाहर होने से अपील इसी स्तर पर मय खर्चे खारिज फरमावे। रेस्पोडेन्ट ने अपने समर्थन में न्यायिक दृष्टांत आर.बी.जे. (22) 2015 पेज नं. 134 पेश पेश किया।

हमने उभय पक्ष की बहस पर मनन किया व रिकार्ड पत्रावली का अवलोकन किया। न्यायालय तहसीलदार अजमेर के समक्ष दिनांक 25.10.2010 को अपीलांट की ओर से वकालतनामा पेश किया गया जिससे प्रतीत होता है कि अपीलांट को तहसीलदार अजमेर के समक्ष विचाराधीन प्रकरण की पूर्ण जानकारी थी। साथ ही उपरोक्त अधिवक्ता द्वारा वादग्रस्त आराजी बाबत् एक नियमित वाद एस.डी.ओ अजमेर के समक्ष दिनांक 15.12.2011 को प्रस्तुंत किया गया जिससे सिद्ध होता हैं कि अपीलांट व उसके अधिवक्ता को तहसीलदार के समक्ष विचाराधीन प्रकरण की पूर्ण जानकारी थी इसके बावजूद भी तहसीलदार द्वारा पारित आदेश दिनांक 02.06.2011 की अपील, अपीलांट व उसके अधिवक्ता द्वारा दिनांक 01.11.2012 को प्रस्तुत की गई। तहसीलदार द्वारा पारित बेदखली आदेश दिनांक 02.06.2011 को किया गया जिसकी अपील हाजा न्यायालय में दिनांक 01.11.2012 को प्रस्तुत की गई जो लगभग 17 माह अर्थात 518 दिन बाद की गई जबकि जिस डिक्री या आदेश की अपील की जानी है उसकी तारीख से 30 दिवस की अवधि निर्धारित

जिला कलक्टर,

हैं। अपीलांट द्वारा विलम्ब से अपील प्रस्तुत करने का कोई ठोस कारण नहीं दिया गया हैं। जबकि विलम्ब अवधि पश्चात् दायर अपील में प्रत्येक विलम्ब दिवस का कारण दिया जाना होता हैं। उपरोक्त समस्त तथ्यों से साबित होता हैं कि अपीलांट को पूर्ण जानकरी थी। लिहाजा विलम्ब को कन्डोन किया जाना न्यायोचित प्रतीत नहीं होता है। उपरोक्त परिपेक्ष्य में अपीलार्थीगण का उक्त प्रार्थना पत्र धारा 5 मयाद बाहर होने की वजह से स्वीकार किये जाने योग्य प्रतीत नहीं है।

परिणामतः उपरोक्त विवेचन, विश्लेषण अनुसार मूल अपील के साथ संलग्न धारा–5 मयाद अधिनियम अस्वीकार कर अपील अन्तर्गत धारा 225 राजस्थान काश्तकारी अधिनियम 1955 खारिज की जाती हैं।

आदेश मेरे द्वारा लिखवाया जाकर आज दिनांक 07.02.2025 को सरे इजलास सुनाया गया।

(लोक बन्धु)
जिला कलक्टर, अजमेर